संख्या : 36/2026/1252/94-1-2026-312(177)/2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 11 जून, 2026**

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम छमाही (माह अप्रैल, 2025 से माह सितम्बर, 2025 तक) एवं द्वितीय छमाही (माह अक्टूबर, 2025 से माह मार्च, 2026 तक) की अवशेष किश्तों हेतु स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2411/शि0का0लख0/बजट-2percent-42/2026-27 दिनांक 22-05-2026 एवं पत्र संख्या-2125/शि0का0लख0/बजट-2percent-42/2026-27 दिनांक 14-05-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान सं०-91 राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 800-अन्य व्यय, 03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों, डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड, विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ०प्र० आवास विकास परिषद् को अन्तरण हेतु 42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रु० 36,00,00,00,000/- (रुपये छत्तीस अरब मात्र) में से धनराशि रु० 9,00,00,00,000/- (रुपये नौ अरब मात्र) की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं०-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 व स्टाम्प एवं निबन्धन अनु०-1 के शासनादेश संख्या-10/2025/618/94-1-2025-312(35)/2023 दिनांक 27-03-2025 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-08/2026/560/94-1-2026-312(35)/2023 दिनांक 12-03-2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि के वितरण में पारदर्शिता व समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्राधिकरणों, नगरीय निकायों आदि को देय धनराशि का सत्यापन विभाग के सक्षम अधिकारियों से कराने के उपरान्त विभाग द्वारा धनराशि का वितरण मुख्यालय स्तर से केन्द्रीकृत रूप से किया जायेगा।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण की सूचना वाउचर संख्या व दिनांक सहित स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की नियमित समीक्षा की जाएगी।

(6) नगर निगम वाराणसी को पूर्व में प्रेषित धनराशि के नियमानुसार अवस्थापना मद में व्यय किए जाने संबंधी समस्त आवश्यक सूचनाएं एवं अभिलेख प्राप्त कर उनका परीक्षण करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय और शासन के अनुमोदनोपरान्त ही नगर निगम वाराणसी को कोई अतिरिक्त धनराशि प्रेषित की जाएगी।

(7) अवस्थापना निधि जिस जनपद से आती है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा उस राशि को सम्बन्धित जनपद के विकास पर खर्च किया जा रहा है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से सम्पूर्ण सूचना एवं अभिलेख प्राप्त कर उनका परीक्षण करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय और शासन के अनुमोदनोपरान्त ही उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कोई अतिरिक्त धनराशि प्रेषित की जाएगी।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के ''अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 800-अन्य व्यय, 03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों, डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड तथा विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ०प्र० आवास विकास परिषद् को अन्तरण हेतु 42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।